

कमाक 43 दि 26/08/25

DRC (h.s.) / श्री सुन्दरी साहू

22/8/25

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या: 539/XVIII(3)/2025-3(17)/2016

देहरादून: दिनांक: 21 अगस्त, 2025।

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गांव का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	हल्द्वानी	भावर छ: खाता	जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा

Digitally signed by
Surendra Narayan Pandey
Date: 14-08-2025
16:50:59 सुन्दर नारायण पाण्डे)
सचिव, राजस्व।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं0-1597/IV/रा0प0/2025-26 दिनांक 30 जून, 2025 के अनुक्रम में इस आशय से कि उक्त ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य हेतु आपके पत्र में उल्लिखित किसी एक तकनीक अथवा समकक्ष तकनीक का प्रयोग करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2-आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

3-जिलाधिकारी, नैनीताल।

4-उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0- 484/2024 के अनुक्रम में।

5-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित अधिसूचना की हिन्दी व अंग्रेजी की 25 प्रतियां राजस्व अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु।

6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
SURENDRA SINGH NEGI
Date: 21-08-2025
11:03:42 (सुरेंद्र सिंह नेगी)

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 539/XVIII(3)/2025 dated 21/08/2025 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
REVENUE SECTION-3
No. 539/XVIII(3)/2025-3(17)/2016
DEHRADUN: DATED: 21 August, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that with effect from the date of publication of the notification in the official gazette the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operation.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Haldwani	Bhawar Che: Khata	Jawahar Jyoti Damuwadhunga

Digitally signed by
Surendra Narayan Pandey
Date: 14-08-2025
16:29:50
(Dr. Surendra Narayan Pande)
Secretary, Revenue